राजस्व वाद संख्याः-81/2023
बालूराम बनाम ओमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांकः- 20.06.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ़ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः-

श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)

मु0नं0 81/2023

01. बालूराम पुत्र श्री चिमनाराम, आयु 72 वर्ष, जाति जाट, निवासी स्वामी सेही, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं (राज०) व आदर्श कॉलोनी चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज०)।

आवेदक

बनाम

01. ओमप्रकाश पुत्र श्री धर्मपाल, जाति जांगिड ब्राहम्ण, निवासी स्वामी सेही, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं (राज०)।
02. जयवीर पुत्र श्री धर्मपाल, जाति जांगिड ब्राहम्ण, निवासी स्वामी सेही, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं (राज०)।
03. सपना पुत्री श्री धर्मपाल पत्नी श्री मुकेश, जाति जांगिड ब्राहम्ण, निवासी देवरोड़, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज०)।
04. सिलोचना पत्नी संजय कुमार जाति जांगिड़, निवासी स्वामी सेही, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं (राज०)।
05. प्रतीक जांगिड पुत्र संजय कुमार जांगिड, आयु 14 वर्ष नाबालिग, जरिये माता संरक्षक सिलोचना पत्नी संजय कुमार जाति जांगिड़, निवासी स्वामी सेही, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं (राज०)।
06. पलक जांगिड़ पुत्र संजय कुमार जांगिड, आयु 12 वर्ष नाबालिग, जरिये माता संरक्षक सिलोचना पत्नी संजय कुमार जाति जांगिड़, निवासी स्वामी सेही, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं (राज०)।
07. शाखा प्रबंधक, राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज०)।
08. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूँ (राज०) ।

अनावेदकगण

<u>प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>
<u>निर्णय</u>

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि वाके ग्राम स्वामी सेही में आवेदक का खेत खसरा नम्बर 178 रकबा 5.27 हैक्टेयर स्थित है। आवेदक ने अपने खेत में सिंचाई हेतु कुंआ बना रखा है तथा मकान हैं। आवेदक के खेत की पूर्व दिशा में खेत खसरा नम्बर 408/177 रकबा 0.48 हैक्टेयर अनावेदकगण नम्बर 4 लगायत 6 का स्थित है तथा उसके पूर्व में खेत खसरा नम्बर 177 रकबा 0.43 हैक्टेयर स्थित है जो अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 3 का है।

यह कि आवेदक को अपने खेत खसरा नम्बर 178 में पहुँचने के लिए व काश्त करने हेतु ट्रेक्टर, ट्रोली, ऊंट गाडा ईत्यादि लाने व ले जाने के लिए व अपने कुंए की मोटर की मरम्मत करवाने एवं खराब होने पर लाने व ले जाने के लिए कटानी रास्ते के अभाव में परेशानियों का सामना करना पडता है तथा आवेदक के खेत में पहुँचने के लिए कोई प्रचलित रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ता ना होने से आवेदक को कई बार फसल का अपार नुकसान हो जाता है तथा पडौसी खातेदारों के द्वारा पहले बुवाई कर देने से कई बार आवेदक का खेत बिना काश्त किये ही रह जाता है। इस कारण आवेदक को अपने खेत खसरा नम्बर 178 के लिए कटानी रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता होने से कटानी रास्ते के लिए आवेदक यह आवेदन पत्र नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी स्थान के लिए आवेदन कर रहा है तथा नजरी नक्शा आवेदन पत्र का ही एक भाग है तथा इसे आवेदन पत्र के साथ में ही पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

यह कि नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी स्थान के अलावा आवेदक के खेत के लिए अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं पडता है। आवेदक उक्त मार्क ए से बी कटानी रास्ता ग्राम स्वामी सेही से अगवाना खुर्द रास्ते से जो ग्राम झाझडियों की ढाणी व काकोडा जाने वाला प्रचलित रास्ता स्थित है, जो कदीमी है, उक्त प्रचलित रास्ते को नजरी नक्शे में लाल स्याही से मार्क C से D स्थान पर दिखाया गया है, जो खसरा नम्बर 186 की पूर्वी सींव, खसरा नम्बर 185 की पश्चिमी व उत्तरी सींव, खसरा नम्बर 179 की पूर्वी सींव, खसरा नम्बर 180 की पूर्वी सींव, खसरा नम्बर 409 / 180 की दक्षिणी व पूर्वी सींव, खसरा नम्बर 177 की पूर्वी सींव, खसरा नम्बर 459 / 167 की दक्षिणी व पूर्वी सींव एवं खसरा नम्बर 157 की दक्षिणी व पूर्वी सींव से होता हुआ ग्राम झाझडियों की ढाणी व काकोडा को जाता है। आवेदक के द्वारा चाहा गया रास्ता उक्त प्रचलित रास्ते से खसरा नम्बर 177 रकबा 0.43 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 408 / 177 रकबा 0.48 हैक्टेयर की दक्षिणी सींव के सहारे सहारे खसरा नम्बर 178 के पूर्वी कोने तक नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी स्थान स्थान तक पुख्ता कटान का 4 मीटर चौडा रास्ता चाहता है, जो रास्ता खेत खसरा नम्बर 178 के नजदीक होने से व अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग ना होने के कारण दिया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

यह कि आवेदक को अपनी खातेदारी की भूमि को काश्त करने हेतु, ट्रेक्टर, ट्रोली आदि वाहन लाने व ले जाने हेतु नजरी नक्शे में दर्शित स्थान के अलावा अन्य कोई नजदीकी स्थान से कटान का रास्ता नहीं है तथा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है। रास्ते के अभाव में कई बार आवेदक की फसल नष्ट हो जाती है एवं कई बार खेत बिना बुवाई के ही रह जाता है। इस कारण से आवेदक को नजरी नक्शे में दर्शित प्रचलित रास्ते से मार्क ए से बी स्थान तक कटान के रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता होने से मार्क ए से बी स्थान तक 4 मीटर चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

यह कि आवेदक उक्त प्रस्तावित रास्ते को कटान का होने पर न्यायालय श्रीमान् के आदेशानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है।

यह कि आवेदन पत्र के साथ एक नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है, जो आवेदन पत्र का ही एक भाग है एवं इस आवेदन पत्र के साथ ही पढ़ा जावे।

यह कि खसरा नम्बर 157 से 159, 457 / 167, 458 / 167, 459 / 167, 168 से 180, 409 / 180, 181 से 182, 185 से 186 इन सभी खसरा नम्बरों में जाने के लिए सभी खातेदार नजरी नक्शे में दर्शाये गये लाल स्याही वाले प्रचलित रास्ते से जो कदीम से चालू है, इसी रास्ते से अपने खेतों व आवासीय मकानों में आते जाते हैं।

अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक के आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आवेदक के खेत खसरा नम्बर 178 रकबा 5.27 हैक्टेयर में कटान के रास्ते के लिए अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 6 के खेत खसरा नम्बर 408 / 177 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.43 हैक्टेयर की दक्षिणी सींव के सहारे सहारे मीटर नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी स्थान तक 4 मीटर चौडा रास्ता घोषित कर तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जावे के वह उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर मौके पर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी । अनावेदकगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार सुरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई

वकील प्रार्थी की बहस सुंनी गयी। बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व / 2023 / 830 दिनांक 21.12.2023 का अवलोकन किया गया । उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक की भूमि के कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई कम दुरी का रास्ता नही लगता हैं । राजस्व रिकार्ड के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है जो मौके पर चालू है। उक्त मौका जांच रिपोर्ट एवं बहस का अवलोकन एवं मनन पश्चात तहसीलदार सूरजगढ की मौका

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः–81/2023

बालूराम बनाम औमप्रकाश वगै0

निर्णय दिनांकः– 20.06.2025

रिपोर्ट कमांक राजस्व/2023/830 दिनांक 21.12.2023 के साथ पेश भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्षा में दर्षित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 178 मौजा स्वामीसेही में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 408/177, 177 अप्रार्थीगण की भूमि में से लाल स्याही से अंकित रास्ते की लम्बाई 107 मीटर चौडाई 04 मीटर का रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट राजस्व/2023/830 दिनांक 21.12.2023 के साथ भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्शा में दर्शित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 178 मौजा स्वामीसेही में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 408/177, 177 अप्रार्थीगण की भूमि में से लाल स्याही से अंकित रास्ते की लम्बाई 107 मीटर चौडाई 04 मीटर का रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भुमि की निर्धारित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर संबधित खातेदार को उनके हिस्से अनुसार दी जावे अथवा रास्तें में जाने वाली जमीन प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड के हक एवं हिस्से से कम कर अप्रार्थीगण के हक एवं हिस्से में हिस्सेनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। रास्ते के नाप में अगर कोंई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करे। तहसीलदार सूरजगढ की रिपोर्ट निंर्णय का भाग रहेगा।

(श्रीमती सुमन देवी II . आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ